



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 819]
No. 819]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2006/श्रावण 6, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2006/SRAVANA 6, 1928

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2006

New Delhi, the 28th July, 2006

का.आ. 1216(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 28 जुलाई, 2006 को उस दिन के रूप में नियत करती है जिस दिन को उक्त अधिनियम की धारा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 75, 77 और 79 प्रवृत्त होंगी।

S.O. 1216(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby appoints the 28th day of July, 2006 as the date on which the provisions of Sections 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 75, 77 and 79 of the said Act shall come into force.

[फा. सं. 30/1/2006-एनडीएम-III(क)]

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1302]

No. 1302]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 2006/कार्तिक 9, 1928

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2006/KARTIKA 9, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1861(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा 30 अक्टूबर, 2006 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस दिन को उक्त अधिनियम की धारा 7, 9, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 42, 43, 49, 50, 70 की उप-धारा (1) एवं धारा 76 प्रवृत्त होंगी।

[फा. सं. 30/1/2006-एनडीएम-III(ए)]

प्रभांशु कमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2006

S.O. 1861(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby appoints the 30th day of October, 2006 as the date on which the provisions of Sections 7, 9, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 42, 43, 49, 50, Sub-section (1) of Section 70 and Section 76 of the said Act shall come into force.

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)]

PRABHANSHU KAMAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1862(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 42 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा 30 अक्टूबर, 2006 से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन करती है।

[फा. सं. 30/1/2006-एनडीएम-III(ए)]

प्रभांशु कमल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2006

S.O. 1862(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 42 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby constitutes the National Institute of Disaster Management with effect from the 30th day of October, 2006.

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)]

PRABHANSHU KAMAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2004]

No. 2004]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 18, 2011/आश्विन 26, 1933

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2011/ASVINA 26, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2397(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 अक्टूबर, 2011 को उस तारीख के रूप में नियत करता है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 32-3/2010-एनडीएम।]

आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2011

S.O. 2397(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby appoints the 18th day of October, 2011 as the date on which the provisions of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 46 of the said Act shall come into force.

[F. No. 32-3/2010-NDM-I]

R. K. SRIVASTAVA, Jr. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]
No. 360]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2008/फाल्गुन 27, 1929
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 2008/PHALGUNA 27, 1929

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2008

का.आ. 517(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा 17 मार्च, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस दिन को उक्त अधिनियम की धारा 44 और 45 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 30/1/2006-एनडीएम-III(ए)/IV]

ओ. रवि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2008

S.O. 517(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby appoints the 17th day of March, 2008 as the date on which the provisions of Sections 44 and 45 of the said Act shall come into force.

[F. No. 30/1/2006-NDM-III(A)/IV]

O. RAVI, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531
No. 531

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 2007 (वैशाख 18, 1929)
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 8, 2007 (VAISAKHA 18, 1929)

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2007

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2007

क्र.अ. 722(अ).—आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की भाग I की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, अगस्त, 2007 को उक्त विन के तहत निम्न कानून हैं जिन दिनों उक्त अधिनियम की धारा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, धारा 70 प्रत्येक-धारा (2) की धारा 71, 72, 73, 74, 78 और 79 को लागू में

S.O. 722(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby appoints the 1st August, 2007 as the date on which the provisions of Sections 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, Sub-section (2) of Section 71, Sections 72, 73, 74, 78 and 79 of the said Act shall come into force in the whole of India.

[क्र. सं. 2007-2006-एन डी एम III ए]
श्री. रवि, संयुक्त सचिव

[F. No. 301/2006-NOM-III(A)]
O. RAVI, Jt. Secy.